

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हों द्वारा भरा जाना है।

<p>18 राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशेष टिप्पणी की जाएं)</p>	<p>18 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सागर जिले के अन्तर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कुल 530.85 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।</p>
---	--

दिनांक: 02.2020
स्थान: भोपाल

(संजय मोहरीर)
पदन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

प्रस्ताव राज्य मोहरीर
(संजय मोहरीर)
पदन सचिव, वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन